

बिहार विधान सभा में प्राप्त शून्यकाल सूचना

<p>श्री दिनेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक—21.02.2013 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना संख्या—05/2013 के संबंध में।</p> <p>शून्यकाल सूचना</p> <p>“ दिनांक— 18.02.2013 को रात्रि 12 बजे से असामाजिक तत्वों द्वारा बरतल्ला शीश महल चौक, आरा में 22 दुकानों को आग लगाकर जला दिया गया, जिसमें एक करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो गई।</p> <p>अतः सरकार उक्त अग्नि काण्ड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं दुकानदारों की मुआवजा दें।</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p> <p>उत्तर</p> <p>अग्निकांड प्राकृतिक आपदा से आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने पर ही प्रभावित परिवार को नियमानुकूल अनुदान दिया जा सकता है। दुकानों या व्यावसायिक/औद्योगिक भवनों के लिए अनुदान का प्रावधान नहीं है।</p> <p>आपराधिक घटना में अग्निकांड होने की स्थिति में भी किसी प्रकार के अनुदान का प्रावधान नहीं है।</p>
---	---

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक—04 / वि0स0शू0का0—51 / 2013 / / आ0प्र0, दिनांक—.....

प्रतिलिपि—श्री हरेराम मुखिया, प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक 484 दिनांक—02.04.2013 के क्रम में 03 (तीन) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सचिवदानन्द चौधरी)


अवर सचिव

ज्ञापांक—04 / वि0स0शू0का0—51 / 2013 / / आ0प्र0, दिनांक—.....

2539

27/6/13

प्रतिलिपि—सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अवर सचिव